प्रेस नोट दिनांक- 05.09.2024

जनपद चन्दौली

□ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 36 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 04.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 36 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा उल्लेखनीय कार्य के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में कानून व्यवस्था नियंत्रण व अपराध पर अंकुश लगाये जाने के साथ ही पुलिस कर्मियों द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यो की प्रशंसा करते हुए पुलिसकर्मियों के उत्साहवर्धन हेतु उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है

□थाना मुगलसराय अतंर्गत पीआरवी (5556) पर नियुक्त पुलिसकर्मियों द्वारा एक महिला द्वारा आत्महत्या के प्रयास किये जाने की सूचना पर मौके पर पहुँचकर त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला की जान बचायी गयी व कांउसिलिंग कर सकुशल परिवारजनों को सुपुर्द किया गया।

□थाना बलुआ अन्तर्गत एक महिला द्वारा गंगा नदी के रेलिंग से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किये जाने की सूचना पर पीआरवी (3129) पर नियुक्त पुलिसकर्मी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला की जान बचायी गयी व कांउसिलिंग कर सकुशल परिवारजनों को सुपुर्द किया गया।

□थाना अलीनगर क्षेत्रान्तर्गत लोको कॉलोनी में हुयी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में थाना अलीनगर के पुलिसकर्मी का सराहनीय योगदान रहा।

उपरोक्त उल्लेखनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा पुलिस कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा उनसे अपेक्षा की गई की थाने पर आने वाले आगन्तुकों की समस्याओं का प्राथमिकता स्तर पर निवारण करें।

प्रशस्तिपत्र प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का नाम इस प्रकार हैं।

1-हे0का0 नागरिक पुलिस दिलीप कुमार (पीआरवी 5556)

2-महिला का0 रंजना भारती (पीआरवी 5556)

3-का0 नितीश कुमार (पीआरवी 3129)

4-का0 शैलेन्द्र कुमार (थाना अलीनगर)

5-हो0गा0 अरविन्द कुमार पाण्डेय (पीआरवी 5556)

प्रेस-नोट   जनपद चन्दौली

दिनांक-05.09.2024

◆चाक-चौबंद सुरक्षाव्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों व संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहनों की सघन चेकिंग हेतु चलाया गया विशेष अभियान

चन्दौली- जनपद चन्दौली में स्थित बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत, श्री आदित्य लाग्हें पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा बैंकों व उसके आसपास सघन चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में समस्त थाना क्षेत्र व थाना व चौकी प्रभारियों सहित चेकिंग हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी बैंक/पोस्ट ऑफिस/ग्राहक सेवा केंद्र व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/ सर्राफा बाजार व उसके आसपास संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बैंकों में लगे अलार्म एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया कि सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नही, शाखा प्रबंधक से इस सम्बन्ध में वार्ता की गयी। थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख प्वाइंटों पर संदिग्धों को चिन्हित करते हुए बैरियर लगाकर संदिग्ध बाइक सवारों व वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है। बिना नंबर व गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बैंक डयूटी में लगे पुलिसकर्मियों को चेक कर सतर्कतापूर्वक डयूटी करने हेतु निर्देश दिये गये। बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को बैंक परिसर से बाहर किया गया।

प्रेस नोट दिनांक-05.09.2024

यूपी-112 जनपद चंदौली

□दिनांक-04.09.2024 यूपी-112 परियोजना के अन्तर्गत जन-जागरूक अभियान एक पहल के तहत कॉलर को किया गया सम्मानित

चंदौली-श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय उ०प्र० द्वारा पीडित की समय से मदद और अपराध की रिपोर्ट करने के लिए यूपी-112 ने सामुदायिक पुलिसिंग हेतु जन-जागरूकता अभियान एक पहल की शुरुआत 12.08.2024 से की गयी है। इस अभियान के तहत लोगों को दूसरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जिनका घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है और उनके द्वारा प्रकरण की सूचना दी जा रही है, तो उनको यूपी-112 के द्वारा प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह से कॉलर को सम्मानित किया जा रहा है।

इस अभियान के अन्तर्गत दीपांशु प्रसाद थाना बलुआ जनपद चन्दौली द्वारा दिनांक 22.08.2024 को समय 17.20 बजे यूपी-112 पर सूचना दी गयी कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, गंगा पुल के रेलिंग पर उतर आई है, गंगा नदी में छलांग लगाने के लिए। पीआरवी 3139 (जनपद चन्दौली) के कर्मियों द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुँचकर महिला को सही सलामत बचा लिया गया। घटना के बारे में प्रभारी निरीक्षक बलुआ को अवगत कराया गया तथा प्रभारी निरीक्षक बलुआ के आदेश पर महिला को उसके ग्राम देवरा में उनके परिजन कमलेश यादव व कल्पू यादव को सुपुर्द किया गया।

श्रीमती नीरा रावत, अपर पुलिस महानिदेशक यू.पी.-112 महोदया द्वारा जनपद चन्दौली निवासी श्री दीपांशू प्रसाद को चिन्हित कर उनके घर जनपद चन्दौली में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह भिजवा कर सम्मानित कराया गया। दीपांशू प्रसाद को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह दिनांक 03.09.2024 को अपराहन में यूपी- 112 प्रभारी आरओआईपी उ.नि. जिऊत प्रसाद द्वारा कॉलर के घर बलुआ जाकर सम्मानित किया गया। आस-पास के लोगों द्वारा यूपी-112 की इस पहल की सराहना की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 05.09.2024

थाना इलिया जनपद चन्दौली

थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा 01 बोलेरो पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे 04 गोवंशीय पशुओं (02 राशि गाय व 02 राशि बछड़ा) के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

चन्दौली-पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध/अपराधियों व गोतस्करों के विरूद्ध चलाये जा अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थाना इलिया प्रभारी हरिश्चन्द्र सरोज के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 साहबदीन यादव अपने हमराहियो के द्वारा 01 बोलेरो पिकअप वाहन से 02 गाय व 02 बछड़ा गोवंशीय पशुओ को क्रूरता पूर्वक वाहन में लादकर बिहार ले जाया जा रहा था कि माल्दह पुलिया बिहार वार्डर वहद ग्राम माल्दह से गोवंशीय पशुओ को वाहन के साथ बरामद किया गया ।

पुलिस कार्यवाही-दिनांक 04.09.2024 को उ0नि0 साहबदीन यादव मय हमराह द्वारा माल्दह नहर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेंकिग कर रहे थे। कि उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चकिया की तरफ से 01 बोलेरो पिकअप वाहन में कुछ गोवंशो को क्रूरतापूर्वक लादकर बिहार ले जाने वाले है। उपरोक्त सूचना के आधार पर इलिया पुलिस टीम द्वारा माल्दह नहर पुलिया के पास सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। कुछ देर बाद चकिया की तरफ से एक पिकअप तीव्र गति से आता हुआ दिखायी दिया। मौजूदा पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर वाहन को रोक लिया गया। उपरोक्त वाहन की तलाशी करने पर 02 गाय व 02 वछड़े को बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 92/2024 धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. छोटू खरवार पुत्र इन्द्रदेव खरवार निवासी वार्ड नं0- 21 मोहल्ला गवई थाना भभुआ जिला कैमूर (बिहार) उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

मु मु0अ0सं0 92/2024 धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदगी-

1. 01 अदद बोलेरो पिकअप वाहन- UP 67AT8275
2. 04 राशि गोवंशीय पशु

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक हरिश्चन्द्र सरोज थाना इलिया जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 साहबदीन यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली।

3. उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली

4.हे0का0 दिनेश कुमार थाना इलिया जनपद चन्दौली।

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 05.09.2024

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप क्रूरतापूर्वक बाधकर वध हेतु ले जा रहे 06 राशि गोवंशीय पशुओ को बरामद करते हुए 01 शातिर पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध/अपराधियों व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे, अपर पुलिस अधीक्षक सदर, विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर, राजेश राय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व मे सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप में क्रूरतापूर्वक बाधकर वध हेतु ले जा रहे 06 राशि गोवंशीय पशुओ को बरामद करते हुए 01 शातिर पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही- आज दिनांक 05.09.2024 को उ0नि0 विजय प्रताप सिंह मय हमराह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक पिकअप में कुछ मवेशियो को क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु चन्दौली के रास्ते बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा काला शहीद बाबा मजार के पास बैरिकेटिंग लगाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। एक-एक वाहन को रोककर टॉर्च से चेक किया जा रहा था, चेकिंग अभियान के दौरान एक पिकअप चेकिंग पॉइंट से 50 मीटर पहले ही अचानक तेजी से ब्रेक लगाया। चेकिंग कर रही पुलिस द्वारा संदिग्धता के आधार पर पिकअप को घेराबंदी कर रोक लिया गया। वाहन की तलाशी के दौरान वाहन से 06 राशि गोवंशीय पशुओ को बरामद करते हुए 01 शातिर पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 159/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह और वाहन चालक रोहित मध्यप्रदेश से गोवंशीय पशु को लादकर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाने की फिराक में थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त नीरज कुमार मौर्या पुत्र यशवन्त मौर्या निवासी ग्राम निन्दौर थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तारी व बरामदगी का स्थान

एनएच 02 हाईवे काला शहीद बाबा मजार के पास से

बरामदगी का विवरण:-*

1.एक पिकअप वाहन संख्या UP 64 BT 2805

2.एक अदद एन्ड्राइड मोबाइल

3.06 राशि गोवंश (04 राशि साड़ व 02 राशि बैंल)

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण –

1.प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी थाना सैयदराजा चन्दौली।

2.उप निरीक्षक विजय प्रताप सिंह चौहान

3.का. प्रमोद कुमार थाना सैयदराजा चन्दौली।

4.का0 बृजेश चौहान थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक-05.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) चंदौली द्वारा दोषी जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 30.09.1999 को धारा 3/5ए/8गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सुहेल उर्फ बाबू खां पुत्र वसीम निवासी बहादुरपुर थाना रामनगर जनपद वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 113/1999 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री मनीष कुमार (एसपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-05.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) जनपद चंदौली द्वारा अभियुक्त 1.सुहेल उर्फ बाबू खां पुत्र वसीम निवासी बहादुरपुर थाना रामनगर जनपद वाराणसी को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट

थाना नौगढ़ पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 15 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्वेक्षण/निर्देशन में थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा थाना नौगढ़ पर गठित टीम के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही व मादक पदार्थ/शराब तस्करी की रोकथाम हेतु की कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 05.09.2024 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान उ0नि0 अनन्त कुमार भार्गव मय टीम द्वारा समय 11.25 बजे ग्राम बोदलपुर तिराहा के पास से एक नफर अभियुक्त को 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 86/2024 धारा 60 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत मुकदमा का विवरण

1.मु0अ0सं0- 86/24 धारा 60 उ0प्र0 अबकारी अधिनियम

बरामदगीः-

1.15 ली0 अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.राधे वनवासी पुत्र प्रताप वनवासी निवासी ग्राम बाघी थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली उम्र 52 वर्ष

गिरफ्तार/बरामदगी अधिकारी/कर्म0गण नाम -

1.थानाध्यक्ष श्री कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 अनन्त कुमार भार्गव चौकी प्रभारी अमदहा थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

3.का0 सूरज कुमार थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

प्रेस नोट-दिनांकः 05.09.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 05.09.2024 को कुल 138 वाहनों का चालान करते हुए 1,86,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 138 वाहनों का चालान करते हुए 1,86,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्लघन का प्रकार   चालान की संख्या

1 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-08

2 बिना इंश्योरेन्स के वाहन चलाना-04

3 बिना हेलमेट- 44

4 नो पार्किंग- 52

5 गलत दिशा में वाहन चलाना- 09

6 बिना सीट बेल्ट- 01

7 बिना लाइसेंस वाहन चलाना- 04

8 खतरनाक ढंग से वाहन चलाना- 03

9 बिना फिटनेस वाहन चलाना- 08

10 गलत नंबर प्लेट-05

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 05.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-138

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-1,86,000/- रूपयें।

जनपद चन्दौली

पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम/स्कूल/कालेज चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण

समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग के दौरान 09 संदिग्ध व्यक्तियों को दी गई चेतावनी

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 05.09.2024 को जनपद चन्दौली के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में जनपद के समस्त एण्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। जिसके तहत 09 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।

प्रेस नोट दिनांक-05.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार (सिविल जज (सी.डि.)/एसीजेएम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना धीना के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 01.11.2011 को धारा 504,427 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सुरेश दुबे पुत्र गायत्री दुबे 2. भागी दुबे पुत्र सुरेश दुबे निवासी भभनियावं थाना धीना जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 59/2011 धारा धारा 504,427 भादवि थाना धीना में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री मनोज कुमार (एपीओ) व थाना धीना के पैरोकार मुख्य आरक्षी राम प्रवेश यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-05.09.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार (सिविल जज (सी.डि.)/एसीजेएम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्तों 1.सुरेश दुबे पुत्र गायत्री दुबे 2. भागी दुबे पुत्र सुरेश दुबे निवासी भभनियावं थाना धीना जनपद चन्दौली न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

प्रेस नोट दिनांक-05.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन (सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 18.11.2004 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मोहन पासवान पुत्र हरवंश पासवान निवासी गोरई पुर थाना भभुआ जिला भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 398/2004 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-05.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन (सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.मोहन पासवान पुत्र हरवंश पासवान निवासी गोरई पुर थाना भभुआ जिला भभुआ बिहार को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-05.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन (सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 15.11.2002 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रामकिशुन यादव पुत्र रामनारायण निवासी पहाड़पुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 149/2002 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-05.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन (सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.रामकिशुन यादव पुत्र रामनारायण निवासी पहाड़पुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद: चन्दौली

□चुस्त-दुरुस्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा किया जा रहा सायं पैदल गश्त

□संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की की जा रही सघन चेकिंग

□पैदल गश्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर कराया जा रहा सुरक्षा का एहसास

चंदौली:-

श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में आगमी त्योंहार के दृष्टिगत जनपद में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गश्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है